

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, गोपालगंज के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु, के उपरांत उनके आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से कुल राशि रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए), अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार/ आधार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं आई.एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विन्दा कुशवाहा, 52, स्व० हीरा कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग	संगीता देवी, (पत्नी)	766 24.06.2026	ग्रा०-खजुरी पूरब टोला, पो०-खजुरी, था०+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, 8521640262	9951001700 045603	PNB PUNB099 5100	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
2	स्व० रमेश तिवारी, 59, स्व० मैनेजर तिवारी, सामान्य वर्ग	सुनैना देवी, (पत्नी)	767 24.06.2026	ग्रा०-तिवारी मटिहनिया, पो०-सिपाया, था०-विश्वम्भरपुर, प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, 8916703541	1005231030 178991	BGB PUNB0M BGB06	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर का कार्य
3	स्व० हरकेश यादव, 55, स्व० नथुनी यादव, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सावित्री देवी, (पत्नी)	771 24.06.2026	ग्रा०-रामपुर खरेया, पो०-करवतही बाजार, था०+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, 6202273116	3292737136 3	SBI SBIN0006 024	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बड़ई का कार्य
4	स्व० हरदेव शर्मा, 50, श्री मोहन शर्मा, अत्यंत पि० वर्ग	शोभा देवी, (पत्नी)	770 24.06.2026	ग्रा०-खेम मटिहनिया, पो०-दुर्ग मटिहनिया, था०+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, 9019208847	4103090091	CBI CBIN028 1699	रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री के हेल्पर का कार्य

कुल राशि:-रु० 2,00,000/-
(दो लाख रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-समापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-37/2026 (अंश) 'क'- ६९।

पटना, दिनांक :- 14/07/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,00,000/- (दो लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज/उप श्रमायुक्त, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

13/07/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक